

अब कोई गरीब न होगा बेघर, सबके पास होगा अपना एक घर



हमारा प्रयास
आपका आवास

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की

गोकुल ग्राम योजना प्रथम (मुन्नु खेड़ा) एवं गोकुल ग्राम योजना द्वितीय (बीबी खेड़ा) लखनऊ में

अल्प आय वर्ग एवं दुर्बल आय वर्ग हेतु

फिनिशड भवन प्राप्त करने का



भवनों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	भवन का प्रकार	प्रस्तावित भवनों की संख्या	सुपर एरिया (व.मी. में)	निर्मित क्षेत्रफल (व.मी. में)	अनुमानित विक्रय मूल्य (लाखों में)	पंजीकरण धनराशि	अधिकतम आय सीमा (लाखों में)
1	गोकुल ग्राम योजना प्रथम (मुन्नु खेड़ा) लखनऊ	जी+3 दुर्बल आय वर्ग	1408	37.35	33.69	7.00	35,000	1.00 लाख तक
2	गोकुल ग्राम योजना प्रथम (मुन्नु खेड़ा), लखनऊ	जी+3 अल्प आय वर्ग	672	47.38	43.18	9.07	45,000	2.00 लाख तक
3	गोकुल ग्राम योजना द्वितीय (बीबी खेड़ा), लखनऊ	जी+3 दुर्बल आय वर्ग	61	31.17	27.64	7.00 से 7.50 लाख	35,000	1.00 लाख तक

नोट -

- सामान्य पंजीकरण के आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि 50 प्रतिशत होगी शेष धनराशि आवंटन पत्र/मांग पत्र के अनुसार देय होगी।
- सामान्य वर्ग के आवेदकों को हारिजेन्टल आरक्षण होने पर भी उनको पंजीकरण धनराशि में छूट अनुमन्य नहीं होगी।
- सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त दुर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के आवेदकों को आवंटन-पत्र के निर्गत होने के एक माह के अन्दर क्रमशः 10 प्रतिशत व 30 प्रतिशत एक मुश्त धनराशि प्रथम किस्त के साथ देय होगी।
- शेष देय धनराशि का भुगतान ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के आवंटियों को 15 वर्षों में (180 समान मासिक किस्तों में) तथा एल.आई.जी. श्रेणी के आवंटियों को 12 वर्षों में (144 समान किस्तों में) करना होगा।
- नगद पर आवेदन की सहमति देने वाले आवंटियों को आवंटन-पत्र निर्गत होने के तीन माह के अन्दर भुगतान करना होगा। एक माह (30 दिन) के अन्दर भुगतान करने पर 2 प्रतिशत (कुल मूल्य का) छूट अनुमन्य होगी।

योजना का विशेष आकर्षण -

लखनऊ - कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा लखनऊ - हरदोई को जोड़ने वाले छः लेन चौड़ी सड़क से मात्र 1.5 किमी. की दूरी पर 23.23 एकड़ भूमि पर समग्र विकास। देश की सुप्रसिद्ध संजय गाँधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान से 6.50 किमी. की दूरी पर स्थित।

पंजीकरण अवधि

18-01-2014 से 18-02-2014 तक

पंजीकरण पुस्तिका दिनांक 18.01.2014 से बैंकों/मुख्यालय पर उपलब्ध होंगी

पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु निर्धारित बैंक:

• इलाहाबाद बैंक, बालागंज, लखनऊ • यूनियन बैंक आफ इण्डिया, ए-ब्लाक, राजीजीपुरम, लखनऊ • यूनियन बैंक आफ इण्डिया, बी-3/493, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ • आन्ध्रा बैंक, 16, विधानसभा मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ • पंजीकरण पुस्तिका प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए जन-सुविधा केन्द्र 1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803 यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंकों एवं प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ से रु. 300/- नकद/बैंक ड्राफ्ट एवं पेआर्डर से जो UPHDB Lucknow के नाम देय हो। डाक द्वारा आवेदन-पत्र मंगाने हेतु डाकखर्च रु. 50.00 अतिरिक्त देय होगा।

आवास आयुक्त



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

(सेवाएतन प्रमाणित) Website: <http://www.upavp.com>; E-mail: upavp@Sancharnet.in

